(2.1) जैसा कि उपरोक्त धारा (2) में उल्लेख किया गया है, कम्पनी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार देय प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, कम्पनी ने निम्नलिखित घटकों पर एक मुश्त भुगतान देने पर विचार किया हैः

(क) परिसम्पतियों तथा खड़ी फसल की हानि के लिए प्रतिपूर्ति

(ख) भूमि खरीद तथा पेड़ स्थानातंरण सहायता

(ग) कम्पनी द्वारा जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है, प्रत्येक परिवार को एक वर्ष के लिए रू 2000/- प्रति मास की दर से पारगमन भत्ता। परिवार का मतलब, किसी भूमि के टूकड़े के सभी शेयरहोल्डर अर्थात सभी कानूनी भाई, बहने, उनके कानूनी बच्चे तथा पोते।

(2.3) उपरोक्त सभी घटकों पर विचार करते हुए, जैसाकि नीचे दिया गया है, बजाए 1.3 गुणा और 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज अर्थात जून 2002 से नवम्बर 2003 तक, और उपरोक्त धारा 2,2.1 में दिए गए घटकों के अनुसार भुगतान, समझौता समिति द्वारा किए गए समझौते के अनुसार भुमि की कीमत को दुसरे भाग के भूमि स्वामी को दिए जाएंगे :

क्रं सं0	विषय सूची	बाजार मूल्य प्रति बीघा (रू)	समझौता समिति की बैठक में समझौता की गई दरें
(क)	रोपा अवाल/बगीचा रोपा फलदार	383000/-	रू 15,00,000/- प्रति बीघा
(ख)	रोपा दोयम	306400/-	रू 12,00,000/- प्रति बीघा
(ग)	बगीचा बाथल फलदार	153200/-	रू 6,00.00/- प्रति बीघा
(घ)	बंजर कादीम/गैर मुमकिन मकान/सड़क	6128 /-	रू 24,000/- प्रति बीघा
(ड़)	भूमि पर खड़े पेड़ों की कीमत	-	जैसाकि बागवानी तथा वन विभाग द्वारा मूल्यांकित की किया गया है।

मै, भूस्वामी, इस बात की पुष्टि करता हूँ कि यह मुझे स्पष्ट रूप से बता दिया गया है तथा मैंने अपनी संतुष्टी के अनुसार इसे साफ तौर से समझ लिया है कि उपरोक्त धाराओं 2,2.1 तथा 2.2 में उल्लेखित सभी भुगतान सम्मिलित है तथा जैसाकि नीचे दिया गया हैः

(क) धारा 4, उप-धारा 1 के अर्न्तगत जारी होने वाली अधिसूचना की तिथि से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से अर्थात जून 2002 से नवम्बर, 2003 तक।

(ख) अधिग्रहण की अनिवार्य प्रक्रृति को विचार में रखते हूए ऐसे बाजार मूल्य पर तीस प्रतिशत।

(ग) परिसम्पतियों तथा खड़ी फसल की हानि के लिए प्रतिपूर्ति।

(घ) भूमि खरीद तथा पेड़ स्थानांतरण भत्ता।